पत्रांक-3ए-2-वे0पु0-16/2009(अंश-1)..........................[illegible]......./वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/
सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी

पटना, दिनांक : [illegible]....

विषय :- राज्य सरकार के कर्मचारियों के 01.01.06 से वेतन पुनरीक्षण के सन्दर्भ में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 के साथ संलग्न शिड्यूल-2 का प्रयोग एवं गुच्छन (वंचिंग) प्रावधान की उपयुक्तता के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.01.06 के प्रभाव से संकल्प सं०- 630, दि०-21.01.2010 के द्वारा वेतन के पुनरीक्षण और निर्धारण संबंधी आदेश निर्गत किया गया है ।

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के क्रम में शिड्यूल-II का प्रयोग तथा वंचिंग प्रावधान की उपयुक्तता के सन्दर्भ में वित्त विभागीय पत्र संख्या-1521, दिनांक-21.02.11, 4385, दि०-19.05.2011, 7101, दि०-01.08.11 आदि द्वारा निदेश दिये गये हैं।

ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वित्त विभाग द्वारा शिड्यूल- II एवं वंचिंग के प्रयोग के सन्दर्भ में निर्गत पत्रों को लिपिक एवं सहायक सम्वर्ग के लिए ही प्रभावी मानते हुए अन्य सम्वर्गों द्वारा शिड्यूल- II एवं बंचिंग का प्रयोग करते हुए वेतन निर्धारण किया गया है तथा वेतन की निकासी की जा रही है।

यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा शिड्यूल- II का प्रयोग करने तथा वंचिंग का प्रावधान किये जाने के लिए पूर्व में निर्गत पत्र का सन्दर्भ किसी सम्वर्ग विशेष के लिए नहीं है । वित्त विभाग का परिपत्र संख्या-1521, दि०-21.02.11, 4385, दिनांक 19.05.11 एवं 7101, दि०-01.08.11 एवं अन्य परिपत्र जो इस सन्दर्भ में निर्गत किये गये हैं वे सभी सम्वर्गों पर समान रूप से प्रभावी है । उक्त शिड्यूल- II 01.01.2006 या उसके बाद नवनियुक्त कर्मियों पर ही लागू है; पूर्व से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नहीं ।

यदि किसी भी सम्वर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षण उपरोक्त पत्र में दिये गये निदेश के विरुद्ध किया गया हो, तो उसे तुरंत संशोधित किया जाय तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली दो किश्तों में उनके वेतन से कर ली जाय । यह भी ध्यान में रखा जाय कि दिसम्बर, 2012 के वेतन की निकासी उक्त संशोधन एवं कटौती के पश्चात ही की जाय ।

विश्वासभाजन

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

[illegible] Folder\Vijay Kumar_Letter